कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) **E-mail Id** -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1578 सूरजपुर, दिनांक/ 11 / 12 /2020

प्रति

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ टूरिज्म बोर्ड

पर्यटन मुख्यालय, द्वितीय तल उद्योग भवन रायपुर।

विषय :– **Division of 0.797 ha. of forest land in favour of Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board for construction of Kudargarh Ropeway at Kudargarh village in district of Surajpur in the State of Chhattisgarh- regarding.**
– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/OTHERS/25041/2017

सन्दर्भ :–

1. **भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/F. No. FC-I/IROCH-02/ 2020/ 03 दिनांक 17.11..2020**
2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–703/2174 दिनांक 04.12.2020**

–––00–––

विषयांतर्गत सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ अंतर्गत कुदरगढ़ रोपवे निर्माण में प्रभावित 0.797 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ F. No. FC-I/IROCH-02/ 2020/ 03 दिनांक 17.11..2020 के द्वारा जारी की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/224/358 दिनांक 11.03.2013 के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन सूरजपुर वनमण्डल में प्रभावित वन भूमि 0.797 हे0 हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1531 दिनांक 05.12.2020 के द्वारा तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.–129/2020/1915 दिनांक 07.12.2020 के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक का अनुमोदन किया गया है ।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक– IV के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र 0.797 हे. हेतु प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 639991=00 (छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ इनकानवे रूपये) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक– II के परिपालन में परियोजना में प्रभावित वनभूमि 0.797 हे. के बदले बिगड़े वनभूमि पर 100 नग सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के वनपरिक्षेत्र कुदरगढ़ अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2020–21 की वर्तमान दर 726270/– रुपये प्रति हेक्टर (रोपित पौधों की संख्या 1100 नग) अनुसार कुल 100 नग पौधा रोपण हेतु आवश्यक राशि रू. 66025.00 (छियासठ हजार पच्चीस रूपये) मात्र है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2020–21) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	639991.00
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) हेतु बिगड़े वनभूमि पर 100 नग पौधा रोपण की राशि	66025.00
	योग :–	**706016.00**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बधित समस्त भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) द्वारा ई–चालन जेनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.) से अनुमोदन उपरान्त जमा किया जाना है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 0.797 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि **706016.00 (सात लाख छः हजार सोलह रूपये)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा कर ई–चालान की कॉपी के साथ प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दूवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक–पृथक वचन पत्र सहित 06 प्रतियों में तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1579 — सूरजपुर, दिनांक/ 11 / 12 /2020

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर